फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

श्री कैलाशचन्द्र वगै. बनाम श्री मणीलाल वगैराह

मुकदमा नम्बर '31 /2019 मु. रेवेन्यु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/06/2019	प्रार्थी मय उनके वकील के उपस्थित । एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी का कथन है कि मोजा कंपाकुण्डली प.ह. नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाडा की आराजी संख्या 201/90 रकबा 5–00 पांच बीघा एवं खसरा नं. 96 रकबा 1–03 जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी के नाम स्वतंत्र एवं संयुक्त रूपेण दर्ज है जिसमें विपक्षीगण जबरन अतिक्रमण कर प्रार्थी को बेदखल करने एवं कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर हंकाई बुवाई करने में व्यवधान पैदा करने पर उतारू है । जिससे विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर रोका जावे । प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र एवं नकल जमाबंदी सलग्न है । प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा अग्रिम आदेश तक इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षीगण मोजा कंपाकुण्डली प.ह. नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाडा की आराजी संख्या 201/90 रकबा 5–00 पांच बीघा एवं खसरा नं. 96 रकबा 1–03 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें, प्रार्थी को उक्त आराजी में काश्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, फसली नुकसान नहीं पहूँचावे और न ही एसा कृत्य करें जिससे कि प्रार्थी के चले आ रहे स्वामित्वाकारों में किसी प्रकार की क्षति पहूँचे , एसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य, सहयोगी, ठेकेदार, मजदुर आदि से ही करावें । उक्त आदेश के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति एवं जवाब रखते हो तो दिनांक 2-8-19 को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें । उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा मु. धम्बोला	

Scanned by CamScanner

29-8-19 पत्रावली पेश हुई। परिवादी उपस्थित। विपक्षीगण सं. 1 से 4 तक को नोटिस तामील हेतु [illegible] श्री [illegible] पर [illegible] किया। P.O. [illegible] पद रिक्त है। पत्रावली [illegible] दि 19-9-19 को पेश हो।

[illegible]

19.9.19 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष वकील उपस्थित P O सा. राजकिय कार्य से बाहर होने से पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17-10-19 को पेश हो।

[illegible]

17-10-19 पत्रावली पेश हुई। परिवादी उपस्थित। विपक्षीगण [illegible]। पत्रावली दि 7-11-19 को पेश हो।

[illegible]

7-11-19 पत्रावली पेश हुई। परिवादी उपस्थित [illegible] विपक्षीगण [illegible] [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] दि 14-11-19 को पेश हो।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा

14-11-19 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष [illegible] [illegible] दि 28-11-19 को पेश हो।

[illegible]

Scanned by CamScanner

28.11.19 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष वकीलान उपस्थित।
अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं पूर्व में अन्तिम अवसर दिये जाने पर अप्रार्थी जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व में जारी की गई अंतरिम निषेधाज्ञा को पुख्ता करने की गुहार की गई जिस पर अप्रार्थी वकील द्वारा प्रतिवाद नहीं किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला प्रथम दृष्टया बनने एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 27/6/19 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को बाद तारफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा के रूप में पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]
28/11/19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Daulat Ram Choudhary
Date: 2019.11.29 18:26:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: